भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

RBA No. 64 / 2021

No.2021/ACII/9/2/e

New Delhi, dated:25 .11.2021

PFAs
All Zonal Railways/ PUs.

Sub: Authorisation of AXIS Bank for e-freight mode collection .

Please find enclosed a copy of RBI's letter no. DGBA. GBD.No. 5918/ 31.03 dated November 9, 2021 authorising AXIS Bank for e-freight mode collection for Railways for information and necessary action .

Kindly acknowledge receipt.

DA: As above

(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy for information to

1. Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Deptt. of Govt. and Bank Accounts, Byculla Office Building,Opposite Mumbai Central Railway Station, Byculla,Mumbai-400 00.
2. Controller General of Accounts,Ministry of Finance,Department of Expenditure, Mahalekha Niyantrak Bhawan, E-Block,GPO Complex, Behind DDA Headquarters ,Vikas Sadan, INA Colony,New Delhi.
3. Senior Vice President & Group Head, Govt. Coverage Group, AXIS Bank,Ground Floor, G-Wing , NBO Building , Maulana Azad road , Nirman Bhawan, Delhi-110011.

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

डीजीबीए. जीबीडी.स.5918/31.03.002/2021-22 November 9, 2021

प्रबंध निदेशक और सीईओ
एक्सिस बैंक लिमिटेड
एक्सिस हाउस, वाडिया इंटरनेशनल सेनटेर
पी.बी.मार्ग, वरली
मुंबई 400 025

The Managing Director and CEO
Axis Bank Ltd.
Axis House, Wadia International Centre
P.B.Marg, Worli
Mumbai 400 025

महोदय

Dear Sir

रेल मंत्रालय के लिए ई-किराया/भाड़ा-मोड में संग्रहण के लिए एक्सिस बैंक को प्राधिकृत किया जाना

Authorisation of Axis Bank for e-freight mode collection for Ministry of Railways

महालेखा नियंत्रक के कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 26 अक्तूबर 2021 के पत्र सं. R-11004/1/2021-GBA-CGA/1198 के माध्यम से किए गए अनुरोध के आधार पर रेल मंत्रालय के लिए ई किराया/भाड़ा मोड में संग्रहण के लिए एक्सिस बैंक को इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं।

On the basis of the request by the Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Government of India Notification No. R-11004/1/2021-GBA-CGA/1198 dated October 26, 2021, we hereby authorise Axis Bank for e-freight mode collection for Ministry of Railways.

2. तदनुसार, एक्सिस बैंक से अपेक्षित है कि वे "विभागीकृत मंत्रालयों के लेनदेन की रिपोर्टिंग और लेखा के लिए प्रक्रिया" में निर्धारित अनुदेशों और भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखा नियंत्रक , वित्त मंत्रलाय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का भी पालन करें। साथ ही बैंक द्वारा सरकारी व्यवसाय प्रारम्भ किए जाने की तारीख महाप्रबंधक , भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग , नागपुर- 440001 को भेजने के साथ-साथ सभी संबन्धित को सूचित किया जाये तथा इसकी सूचना हमें भी दें।

2. Accordingly, Axis Bank should adhere to the instructions prescribed in the "Procedure for Reporting and Accounting of Transactions of Departmentalised Ministries" and also those issued by Reserve Bank of India and the Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance from time to time. Further, the date of commencement of government business by the bank may please be communicated to all concerned including the General Manager, Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur-440 001, under advice to us.

भवदीया

(एम. एस. मेनन) (M. S. Menon)
प्रबंधक Manager

सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई 400 008
Department of Government & Bank Accounts, Central Office, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai 400 008
Telephone: (022) 2308 4121, Fax No. (022) 2300 0370/2301 6072/2301 0095, e-mail : cgmicdgbaco@rbi.org.in
हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं.64/2021

सं.2021/एसी-II/9/2/ई

नई दिल्ली, दिनांक: 25.11.2021

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: ई-फ्रेट माध्यम से संग्रहण के लिए एक्सिस बैंक को प्राधिकृत करना।

रेलवे के लिए ई-फ्रेट माध्यम से संग्रहण के लिए एक्सिस बैंक को प्राधिकृत करने के बारे में इस पत्र के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 नवंबर 2021 के पत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी सं.5918/31.03.002/2021-22 की एक प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

कृपया पावती दें।

संलग्नक: यथोक्त।

(संजीव शर्मा)
विशेष कार्य अधिकारी/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल ऑफिस, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भायखला कार्यालय बिल्डिंग, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई।
2. लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक भवन, ई-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्पलैक्स, डीडीए मुख्यालय के पीछे, विकास सदन, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली।
3. वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह अध्यक्ष, गवर्नमेंट कवरेज ग्रुप, एक्सिस बैंक, ग्राउंड फ्लोर, जी-विंग, एनबीओ बिल्डिंग, मौलाना आज़ाद रोड, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.